अति महत्वपूर्ण

संख्या:– 567/79–6–2012

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (5) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2012

विषयः परिवर्तन लागत मद में वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश संख्या–371/79–6–2012–1(2)/2009, दिनांक 03.05.12, शासनादेश संख्या– 217/26–ब0प्र0/2012–43/12, दिनांक 18.05.12 व शासनादेश संख्या– 225/26–ब0प्र0–2012–1666/2010, दिनांक 23.05.12 के संबंध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना की कार्य योजना एवं बजट 2012–13 से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय के पत्र संख्या– 9–1/2011/एम0डी0एम0 2–1, दि0 12.12.11 द्वारा जारी दिशा–निर्देशो/प्राविधानों के क्रम में उपर्युक्त वर्णित शासनादेशों दिनांक 03.05.12, 18.05.12 एवं 23.05.12 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु क्रमशः अनुदान संख्या–71, 81 एवं 83 के अ[illegible] प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक वर्ग हेतु वित्तीय स्वीकृतियों की प्रथम किश्त निर्गत की [illegible] शासनादेशों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु परिवर्तन लागत की नवीन दरों के आधार पर वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की गयी है।

भारत सरकार द्वारा अब यह अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु परिवर्तन लागत की नवीन दरें दिनांक 01 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगी। अतः **यह तत्काल सुनिश्चित किया जाय कि उपर्युक्त प्रस्तर में वर्णित शासनादेशों के माध्यम से निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष परिवर्तन लागत की नवीन दरों के अनुसार व्यय दिनांक 01.07.12 से ही प्रभावी** हो। दिनांक 01.04.12 से 30.06.12 तक गत वर्ष हेतु परिवर्तन लागत की दरें अर्थात् प्राथमिक विद्यालयों हेतु रू0 2.89 प्रतिछात्र प्रतिदिन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु रू0 4.33 प्रतिछात्र प्रतिदिन ही प्रभावी रहेगी। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रथम त्रैमासिक रिपोर्ट भी गत वर्ष की परिवर्तन लागत की दरों के आधार पर ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक 01 जुलाई, 2012 से प्राथमिक वर्ग हेतु परिवर्तन लागत की दर रू0 3.11 प्रतिछात्र प्रतिदिन, जिसमें केन्द्रांश रू0 2.33 एवं राज्यांश रू0 0.78 होगा एवं उच्च प्राथमिक वर्ग हेतु रू0 4.65, जिसमें केन्द्रांश रू0 3.49 एवं राज्यांश रू0 1.16 होगा, के अनुसार ही आहरण/धनावंटन की कार्यवाही करते हुये वास्तविकता के आधार पर व्यय किया जा सकेगा। इस संबंध में निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या– म0भो0प्रा0/सी–500/2012–13, दिनांक 15.05.12 के माध्यम से भी अवगत कराया जा चुका है।

भवदीय,

27.6.12

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. श्रमायुक्त, कानपुर।
3. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनीता कुमारी)

प्रमुख सचिव